रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 01] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 1, 2018/पौष 11, 1939
No. 01] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 1, 2018/PAUSHA 11, 1939

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2017

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (चौथा संशोधन) विनियम, 2017

आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी. 22.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (चौथा संशोधन) विनियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 2 में, उप-विनियम (1) के खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(च) "विसम्मत वित्तीय लेनदार" से ऐसा वित्तीय लेनदार अभिप्रेत है, जिसने समाधान योजना के विरुद्ध मतदान किया है और जो समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना के लिए मतदान में अनुपस्थित रहा है;"

3. मूल विनियमों के विनियम 35 में,-

(क) उप-विनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(3) संहिता और इन विनियमों के अनुसार समाधान योजनाएं प्राप्त करने के पश्चात्, यथास्थिति, अंतरिम समाधान वृत्तिक या समाधान वृत्तिक, समिति के प्रत्येक सदस्य को, सदस्य से इस आशय का वचनबंध प्राप्त करने पर इलैक्ट्रॉनिक रूप में परिसमापन मूल्य उपलब्ध करेगा कि ऐसा सदस्य परिसमापन मूल्य के संबंध में गोपनीयता बनाए रखेगा और ऐसी

जानकारी का, स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को अनुचित लाभ या अनुचित हानि कारित करने के लिए प्रयोग नहीं करेगा और धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा।"

(ख) उप-विनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(4) उप-विनियम (3) के अधीन रहते हुए, यथास्थिति, अंतरिम समाधान वृत्तिक या समाधान वृत्तिक, परिसमापन मूल्य की गोपनीयता बनाए रखेगा।"

4. मूल विनियमों के विनियम 36 के उप-विनियम (2) में, खंड (ञ) और खंड (ट) का लोप किया जाएगा।

5. मूल विनियमों के विनियम 39 के उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(1) कोई समाधान आवेदक, संहिता और इन विनियमों के अनुसार तैयार समाधान योजना (योजनाओं) को धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (ज) के अधीन किए गए आमंत्रण में विनिर्दिष्ट समय के भीतर समाधान वृत्तिक को प्रस्तुत करेगा।"।

डॉ. एम. एस. साहू, अध्यक्ष, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

[विज्ञापन-III /4/असा. /373/17]

टिप्पण:— टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.004, तारीख 30 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उसमें तत्पश्चात्

(1) अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.013, तारीख 16 अगस्त, 2017 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2017;

(2) अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.018, तारीख 5 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2017; और

(3) अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.019, तारीख 7 नवम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2017 द्वारा संशोधन किए गए थे।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2017

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA (INSOLVENCY RESOLUTION PROCESS FOR CORPORATE PERSONS) (FOURTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2017

No. IBBI/2017-18/GN/REG22. —In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, namely: -

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Fourth Amendment) Regulations, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 (hereinafter referred to as the principal regulations), in regulation 2, for clause (f) of sub-regulation (1), the following clause shall be substituted, namely: -

"(f) "dissenting financial creditor" means a financial creditor who voted against the resolution plan or abstained from voting for the resolution plan, approved by the committee;"

3. In the principal regulations, in regulation 35, -

(a) for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

"(3) After the receipt of resolution plans in accordance with the Code and these regulations, the resolution professional shall provide the liquidation value to every member of the committee in electronic form, on receiving an undertaking from the member to the effect that such member shall maintain confidentiality of the liquidation value and shall not use such value to cause an undue gain or undue loss to itself or any other person and comply with the requirements under sub-section (2) of section 29.";

(b) after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely: -

"(4) Subject to sub-regulation (3), the interim resolution professional or the resolution professional, as the case may be, shall maintain confidentiality of the liquidation value.".

4. In the principal regulations, in regulation 36, in sub-regulation (2), clauses (j) and (k) shall be omitted.

5. In the principal regulations, in regulation 39, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

"(1) A resolution applicant shall submit resolution plan(s) prepared in accordance with the Code and these regulations to the resolution professional within the time given in the invitation made under clause (h) of sub-section (2) of section 25.".

Dr. M. S. SAHOO, Chairperson, Insolvency and Bankruptcy Board of India

[ADVT.-III/4/Exty./373/17]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 were published in the Gazette of India Extraordinary vide notification No. IBBI/2016-17/GN/REG004 on 30th November, 2016 and was subsequently amended by—

1) the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. IBBI/2017-18/GN/REG013, dated the 16th August, 2017;

2) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Second Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. IBBI/2017- 18/GN/REG018, dated the 5th October, 2017; and

3) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Third Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. IBBI/2017- 18/GN/REG019, dated the 7th November, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.01.02 14:49:11 +05'30'